न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी (जिला– गंगापुर सिटी)

मु.नं. : 21/2023	तारीख रजू 14.12.2023	निर्णय दिनांक 27.12.2023

सरकार बनाम खालीद

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगापुर सिटी ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि खालीद पुत्र जहूंर खांर जाति पठान निवासी दशहरा मैदार, गंगापुर सिटी ने खसरा नं. 167 रकबा 7200 वर्गफीट किस्म मंदिर माफी वाकै ग्राम मिर्जापुर पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से अवैध बाउण्ड्री वॉल बनाकर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। बावजूद सूचना के गैरसायल न्यायालय में अनुपस्थित रहा है अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर अवैध अतिचार किया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। पटवारी हल्का को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 1/– की 50 गुना शास्ति 50/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवाकर, जप्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27-12-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/12/2023

(सीमा घुणावत)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर''घ'' के पेज संख्या ....
पर रुपये 50/– की कायमी वर्ष
2023–24 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार